Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 18 रायपुर, मंगलवार 10 फरवरी 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष लामबंद दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

संसद में हंगामा बरकरार | **119 सांसदों के दस्तखत**

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। मंगलवार को कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया। यह नोटिस विपक्ष के नेता के सुरेश और मोहम्मद जावेद ने प्रस्तुत किया। सूत्रों के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर 119 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज दोपहर 1.14 बजे, हमने नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 94सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत किया।

इस प्रस्ताव पर लगभग 119 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये संख्या व्यापक विपक्षी समर्थन को रेखांकित करती है और कथित पक्षपात, बोलने का समय न दिए जाने और सत्र के दौरान व्यवधानों को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाती है। सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, टीएमसी ने अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की रणनीति से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने कांग्रेस को सुझाव दिया है कि वह इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की मांगों को लेकर अध्यक्ष से अपील करे और हमने अध्यक्ष को विपक्ष की अपील पर जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अगर कांग्रेस आज अपील पेश करती है, तो टीएमसी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगी और अगर अध्यक्ष विपक्ष की अपील से सहमत नहीं होते हैं, तो हम अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, विपक्ष के नेता के लिए अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय संस्थागत मर्यादा और संसदीय परंपराओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि विपक्ष ने सदन के कामकाज पर चिंता जताते हुए यह नोटिस पेश किया था।

प्रस्ताव पर टीएमसी का कांग्रेस को झटका!

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, टीएमसी ने अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की रणनीति से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने कांग्रेस को सुझाव दिया है कि वह इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की मांगों को लेकर अध्यक्ष से अपील करे और हमने अध्यक्ष को विपक्ष की अपील पर जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अगर कांग्रेस आज अपील पेश करती है, तो टीएमसी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगी और अगर अध्यक्ष विपक्ष की अपील से सहमत नहीं होते हैं, तो हम अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इस कदम को समाजवादी पार्टी (एसपी) और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) सहित कई अन्य विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के सभी विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाईकोर्ट ने निरस्त की व्याख्याता के रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ से वसूली, कहा- 6 माह बाद किसी भी किस्म की वसूली अवैध

बिलासपुर, 10 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्याख्याता के रिटायरमेंट के 6 माह बाद जीपीएफ से वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त होने के 6 माह बाद किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की राशि से किसी भी प्रकार की वसूली करने को अवैध माना जाएगा. जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ निवासी सेवानिवृत्त व्याख्याता लक्ष्मी नारायण तिवारी ने याचिका दाखिल की थी. वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ससहा में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे. लक्ष्मीनारायण तिवारी 31 जनवरी 2011 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रिटायरमेंट हुए थे. रिटायरमेंट के करीब 12 साल बाद महालेखाकार कार्यालय रायपुर ने उनके जीपीएफ खाते में ऋणात्मक शेष दर्शाते हुए उनके खिलाफ वसूली आदेश जारी कर दिया. इस आदेश से क्षुब्ध होकर लक्ष्मीनारायण तिवारी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेंट के 6 माह के अंदर ही देयकों की वसूली की जा सकती है. इसके बाद वसूली करना नियमों के खिलाफ है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 65 का हवाला देते हुए बताया गया कि यदि किसी शासकीय सेवक के जीपीएफ खाते में ऋणात्मक शेष पाया जाता है, तो सेवानिवृत्ति की तिथि से केवल 6 माह की अवधि के भीतर ही वसूली की जा सकती है.

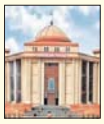

सामूहिक विवाह में शामिल होने जा रहे 54 जोड़ों की बस गड्ढे में गिरी, सभी घायल

मनेन्द्रगढ़, 10 फरवरी (हाईवे चैनल)। जनकपुर से रतनपुर स्थित महामाया मंदिर जा रही एक दुर्गा बस मंगलवार को हादसे का शिकार हो गई. बस पोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे गड्ढे में जा घुसी. हादसे के वक्त बस में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे करीब 54 जोड़े सवार थे. हादसे में बस में बैठे सभी यात्री घायल हो गए. घायलों को तत्काल नागपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के जान गंवाने की सूचना नहीं है, हालांकि कई जोड़ों को गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, घटना पोड़ी थाना क्षेत्र के नागपुर चौकी की है. बस तेज रफ्तार में थी और नागपुर रेलवे स्टेशन के पास संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे गड्ढे में उतर गई. हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से गायब हो गए, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पोड़ी थाना और नागपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक-कंडक्टर की तलाश की जा रही है. इस हादसे ने प्रशासनिक तैयारियों और परिवहन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 30 घरों को आग लगाई सरकार ने पांच दिनों के लिए बंद किया इंटरनेट

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। मणिपुर के उखरुल में हिंसा भड़क गई है। हिंसा के दौरान कई घरों को आग लगा दी गई और गोलियां भी चली। हालात को देखते हुए सरकार ने उखरुल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। यह हिंसा उखरुल के तंगखुल नगा समुदाय के सदस्य पर कथित हमले के खिलाफ भड़की। हिंसा के दौरान करीब 30 खाली पड़े घरों को आग लगा दी गई और इस दौरान गोलियां भी चलीं। हालात को देखते हुए सरकार ने पांच दिनों के लिए इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है।

ब्रेकिंग न्यूज

बीमार शरद पवार को पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने किया फोन

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार को फोन किया, जिन्हें सोमवार को सीने में संक्रमण के बाद पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री ने 85 वर्षीय पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पवार से फोन पर बात की। एनसीपी नेता को खांसी और गले में संक्रमण की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स शुरू किया है, जो अगले चार दिनों तक चलेगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए पवार को आराम करने और फिलहाल किसी से न मिलने की सख्त सलाह दी गई है। अस्पताल में उनके कई मेडिकल टेस्ट हुए और फिलहाल उनका इलाज जनरल वार्ड में चल रहा है।

दिल्ली में नाबालिग लड़की की संदिग्ध रूप से तेजाब पीने से मौत

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने तब नया मोड़ ले लिया जब मृतका की मां ने पति पर यौन उत्पीड़न और जबरन तेजाब पिलाने के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस अब इन विरोधाभासी बयानों और मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, लड़की की मां द्वारा दिए गए बयान भी विरोधाभासी हैं और इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीन जुलाई को गीता कॉलोनी निवासी लड़की का विवाह उत्तर प्रदेश के रामपुर के 22 वर्षीय युवक से दोनों परिवारों के सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, दोनों परिवार दूर के रिश्तेदार हैं। पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल से गीता कॉलोनी पुलिस थाने में लड़की के संबंध में एक मेडिको लीगल मामला (एमएलसी) की जानकारी दी गयी।

राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने गिराई सदन की गरिमा : रिजिजू

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। मंगलवार को विपक्षी सांसदों द्वारा सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन करने के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। निचले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में हंगामा करने और कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की।

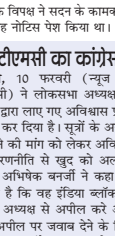

लोकसभा में भारी हंगामा

रिजिजू ने दावा किया कि कई विपक्षी दल केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस संसद को चलने नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि आज बजट का समय है, और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैंने कल भी कांग्रेस से इस पर चर्चा करने को कहा था। डीएमके, समाजवादी पार्टी और तृणमूल के नेता बोलने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस संसद को चलने नहीं देना चाहती। रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सदन की गरिमा को पहले ही बहुत गिरा दिया है, और अब इसे और गिरने न दें। बजट पर चर्चा होने दें। किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि बजट पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। वे हर रोज सदन में आकर हंगामा करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा चुकी है। यह घटनाक्रम विपक्ष के उस आरोप के संदर्भ में सामने आया है कि लोकसभा में विपक्ष के विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया। गांधी ने चीन के साथ 2020 के गतिरोध पर चर्चा के लिए जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला दिया। अध्यक्ष ने गांधी को अप्रकाशित साहित्य का हवाला न देने का निर्देश दिया।

रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई नरवणे की किताब में है : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि एक तरफ प्रकाशक पेंगुइन कह रहा है कि किताब छपी ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ खुद जनरल नरवणे ने सोशल मीडिया पर इसके उपलब्ध होने की बात कही थी।

राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का साल 2023 का एक पुराना ट्वीट दिखाते हुए दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने खुद लिंक साझा कर किताब के उपलब्ध होने की जानकारी दी थी। राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा, या तो आप पेंगुइन की बात मान लें या पूर्व सेना प्रमुख की। जाहिर है, मैं एक जनरल पर भरोसा करूंगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किताब में चीन के साथ 2020 के सीमा विवाद (कैलाश रेंज) पर जो सच लिखा गया है, वह प्रधानमंत्री और सरकार के लिए असहज करने वाला है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार सच्चाई को दबाने के लिए पेंगुइन जैसी संस्थाओं का सहारा ले रही है। राहुल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार बहस से भाग रही है।

नरवणे की पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पर प्रकाशक का बड़ा बयान- अब तक नहीं हुई है प्रकाशित

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज चैनल)। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बहुचर्चित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' एक बार फिर विवादों और चर्चाओं के केंद्र में है। प्रकाशक संस्थान 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' ने स्पष्ट किया है कि इस पुस्तक के प्रकाशन और वितरण के विशेष अधिकार केवल उनके पास हैं और यह पुस्तक अभी तक आधिकारिक तौर पर बाजार में नहीं आई है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रकाशन ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि पुस्तक की मुद्रित या डिजिटल- किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं की गई है। प्रकाशक ने एक बयान में कहा, ''पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है।'' बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति ''मुद्रित या डिजिटल रूप में'' प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक केसंस्करण को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। पिछले सप्ताह संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर इस पुस्तक की एक प्रति दिखाते हुए देखा गया था।

दुर्ग एवं रायगढ़ में होटल की आड़ में चल था सेक्स रैकेट

दुर्ग/रायगढ़, 10 फरवरी (हाईवे चैनल)। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश करते हुए होटल संचालक, दलाल सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पावर हाउस बस स्टैंड स्थित होटल छाया इन में की गई, जहां पुलिस की अचानक छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इधर रायगढ़ जिले में थ्री स्टार होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। होटल ट्रिनिटी के सातवीं मंजिल पर संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस की रेड में तीन अलग-अलग कमरों में तीन महिलाएं मिली। कमरों की तलाशी में मोबाइल, नगदी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस ने होटल के मैनजर और स्पा संचालक के खिलाफ पीटा एक्ट की कार्रवाई की है।

पुलिस की रेड से मची भगदड़, संचालक और दलाल समेत 6 गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई डीआईजीविजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी चित्रा वर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें छावनी सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरा सहित थाना स्टाफ के अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल छाया इन में लंबे समय से देह व्यापार का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से होटल में दबिश दी। छापेमारी के दौरान होटल में संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं, जहां से देह व्यापार में लिप्त युवतियों और दलालों को मौके पर ही पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि होटल संचालक की मिलीभगत से यह रैकेट संचालित किया जा रहा था। दलाल ग्राहकों को उपलब्ध कराने और युवतियों को होटल तक लाने-ले जाने की भूमिका निभा रहे थे। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है।

रायगढ़ में 7वीं मंजिल पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार- रायगढ़ पुलिस को शहर के होटल ट्रिनिटी की सातवीं मंजिल में संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में अवैध देह व्यापार संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर एसएसपी शशिमोहन सिंह के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने थाना कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से 9 फरवरी की शाम करीब 7.30 बजे रेड कार्रवाई की। पहले एक पाईटर को ग्राहक बनाकर रुपये देकर स्पा सेंटर भेजा गया। पाईटर से संकेत प्राप्त होते ही पुलिस टीम ने होटल में दबिश दी। छापेमारी के दौरान होटल के तीन अलग-अलग कमरों में तीन महिलाएं मिली। महिलाओं की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने कमरों की तलाशी ली, जहां आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में स्पा सेंटर संचालक विनयकांत बरगट ने स्वीकार किया कि ग्राहकों को आकर्षित करने एवं अवैध कमाई के उद्देश्य से लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी। पुलिस ने होटल मैनेजर देवेन्द्र सिंह को भी हिरासत में लेकर थाने लाया।

सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी का किया यौन शोषण मेले में भेष बदलकर मांग रहा था भीख, गिरफ्तार

बिलासपुर, 10 फरवरी (हाईवे चैनल)। नाबालिग बालिका के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी का लंबे समय तक शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई. अस्पताल में भर्ती के दौरान नाबालिग ने एक बेटे को जन्म दिया. मामले की जांच के बाद बिल्हा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है।

बिल्हा थाना प्रभारी अवनीश पासवान ने बताया कि पीड़िता नाबालिग है और पढ़ाई के लिए दूसरे जिले के एक हॉस्टल में रहकर अध्ययन कर रही थी. कुछ दिन पहले हॉस्टल परिसर में खेलते समय उसे अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई. इस पर हॉस्टल प्रबंधन द्वारा उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के दौरान यह सामने आया कि नाबालिग आठ माह की गर्भवती है. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया. इलाज के दौरान नाबालिग ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस अधिकारी द्वारा नाबालिग से संवेदनशील तरीके से पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान नाबालिग ने बताया कि उसका यौन शोषण उसके सौतेले पिता द्वारा किया गया था. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने जीरो पर अपराध दर्ज कर मामला बिल्हा थाना भेज दिया. चूंकि घटना बिल्हा थाना क्षेत्र की थी, इसलिए यहां अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू की गई.

न्यायालय में पेश किया गया

पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी घटना के बाद से फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. पुलिस की ओर से विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर भेष बदलकर भीख मांग रहा है. इसी क्रम में पुलिस को पता चला कि वह शिवरीनारायण मेले में मौजूद है. सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस टीम ने मेले में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशक पेंगिवन इंडिया ने कहा है कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है।

चुहिया- हां जी, तो राहुल के हाथों की किताब भ्रम है क्या?